संख्या– 346 /XXVIII(1)-2007–38/2004 TC-IV(Cover-II)

प्रेषक,

डॉ0 उमाकान्त पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक : 15 मार्च, 2011

विषयः निर्माणाधीन रूद्रपुर मेडिकल कालेज, जनपद ऊधमसिंहनगर की स्थापना हेतु 300 शैययायुक्त टीचिंग हास्पिटल के भवन निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–7प/मेडि0का0/35/2004/14493 दिनांक 31 मई, 2010, एवं पूर्व शासनादेश संख्या–154/XXVIII(1)/2007-38/2004 दिनांक 31 मार्च, 2005 शासनादेश संख्या–485/**XXVIII(1)**-2007–38/2004 टी.सी.–III दिनांक 25 मार्च, 2007, शासनादेश संख्या 277/XXVIII(1)/2007-38/2004 TC-III दिनांक 20 मार्च, 2008 तथा शासनादेश संख्या–1459/**XXVIII(1)**-2007–38/2004 दिनांक 31 मार्च, 2008, 61/**XXVIII(1)**-2010–38/2004 टी0सी0 दिनांक 13 जनवरी, 2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रूद्रपुर मेडिकल कालेज, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर की स्थापना हेतु 300 शैय्यायुक्त टीचिंग हास्पिटल के भवन निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में धनराशि **₹ 100.00 लाख (₹ एक करोड़ मात्र)** आपके निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1- उक्त धनराशि से मेडिकल कालेज/हॉस्पिटल के अन्य निर्माण कार्यों को न किया जाए एवं इसका उपयोग केवल उक्त चार निर्माणाधीन भवनों के कार्यों को पूर्ण करने हेतु किया जाए।

2- स्वीकृति धनराशि आहरित एवं व्यय करने से पूर्व वर्णित निर्माणाधीन चार भवनों की पुनरीक्षित लागत को सम्पूर्ण मेडिकल कालेज हेतु स्वीकृत लागत के पुनरीक्षण के साथ व्यय वित्त समिति से अनुमोदन करा लिया जाए।

3- स्वीकृत धनराशि यथाआवश्यकतानुसार किश्तों में आहरित कर सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी परियोजना प्रबन्धक, सी0 एंड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। कार्य कराते समय स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करायें तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। कार्य की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

4- मेडिकल कालेज के अवशेष निर्माण कार्यों को कराये जाने तथा मेडिकल कालेज के संचालन हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप व्यवस्था के लिए Feasibility का परीक्षण यथाशीघ्र करा लिया जाए व तदनुसार मेडिकल कालेज स्थापना का प्रस्ताव यथाशीघ्र व्यय वित्त समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

5- मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु अग्रेत्तर कोई निर्माण बिना व्यय वित्त समिति की स्वीकृति में न किया जाय।

6- विभिन्न निर्माण कार्य हेतु Third party quality assurance की व्यवस्था सी0बी0आर0आई0 रूड़की या किसी प्रतिष्ठित निजी एजेंसी से की जाये एवं इस पर होने वाला व्यय सेन्टेज चार्जेज से वहन किया जाये।

7- जो कार्य कराये जा रहे है उन्हे एम0सी0आई0 मानको में दी गयी चैक लिस्ट के अनुसार सुनिश्चित कर ले एवं इन्हे विभाग द्वारा सत्यापित करा लिया जाये तथा उन्ही कार्यो को कराया जाये जो एम0सी0आई0 के मानको में निर्धारित है।

8- एम0सी0आई0 के मानको के आधार पर निर्माण कार्यो को न्यूनतम लागत पर पूर्ण कराया जाये। यह सुनिश्चित किया जाय कि भवनों का निर्माण एम0सी0आई0 के मानको के अनुसार किया जाएं तथा इसका प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएं ताकि एम0सी0आई0 द्वारा निरीक्षण के समय निर्मित भवनों को अस्वीकृत न किया जा सके।

9- कार्य कराते समय स्वीकृत धनराशि का उपयोग मानकों के अनुरूप कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए किया जाय। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा। किसी भी परिस्थिति में निर्माण एजेंसी द्वारा प्रश्नगत कार्यो की subcontracting नही की जायेगी।

10- उक्त धनराशि यथा आवश्यकतानुसार किश्तों में आहरित की जायेगी।

11- कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

12- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

13- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

14- आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय। निर्माण साम्रगी को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाए एवं उपयुक्त सामग्री का प्रयोग ही किया जाएं।

15- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

16- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या दशा में माह 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतयाः निर्गत किया गया है।

17- योजना के कार्यो को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए, ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े।

18- वित्त विभाग के शासनादेश 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार कार्यदायी संस्था के साथ प्रत्येक निर्माण कार्य को आवंटित करते समय दिये गये प्रारूप पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

19- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–03–चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–05–रूद्रपुर में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण, मानक मद–24–वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

20- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 स0– 1079(P)/वित्तअनुभाग–3/2011 दिनांक 04 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 उमाकान्त पंवार)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी।
2 निजी सचिव, मुख्य सचिव।
3 महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4 सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5 निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6 जिलाधिकारी, ऊद्यमसिंहनगर।
7 वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8 कोषाधिकारी, ऊद्यमसिंहनगर।
9 परियोजना प्रबन्धक,सी0एण्ड डी0 एस0 जलनिगम ऊद्यमसिंहनगर उत्तराखण्ड ।
10 बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
11 वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.।
12 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।